



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कर (टैक्स) प्रकरण सं. 124/2023

{छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण, रायपुर द्वारा संदर्भ प्रकरण सं.
Ref/93/25/2022/VAT में पारित 11.04.2023 दिनांकित आदेश से उद्धृत}

मेसर्स हनुमान पेपर वर्क्स ऑफिस, फरिश्ता कॉम्प्लेक्स, जी. ई. रोड, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)। द्वारा- अधिकृत प्रतिनिधि/प्रबंधक, श्री विनय अग्रवाल, पिता- सागर अग्रवाल, आयु- लगभग 49 वर्ष, निवासी- 102, दुर्गा मंदिर, 1, लस्विस्ता कॉलोनी, अमलिडीह, रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- आवेदक

बनाम

वाणिज्यिक कर आयुक्त, राजभवन के पीछे, सिविल लाइन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- प्रत्यर्थी

के साथ

कर (टैक्स) प्रकरण सं. 123/2023

{छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण, रायपुर द्वारा संदर्भ प्रकरण सं.
Ref/94/26/2022/VAT में पारित 11.04.2023 दिनांकित आदेश से उद्धृत}

मेसर्स हनुमान पेपर वर्क्स ऑफिस, फरिश्ता कॉम्प्लेक्स, जी. ई. रोड, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)। द्वारा- अधिकृत प्रतिनिधि/प्रबंधक, श्री विनय अग्रवाल, पिता- सागर अग्रवाल, आयु- लगभग 49 वर्ष, निवासी- 102, दुर्गा मंदिर, 1, लस्विस्ता कॉलोनी, अमलिडीह, रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- आवेदक





बनाम

वाणिज्यिक कर आयुक्त, राजभवन के पीछे, सिविल लाइन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- प्रत्यर्थी

आवेदक की ओर से : श्री हरि अग्रवाल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री राहुल तमस्कर, शासकीय अधिवक्ता

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल एवम

माननीय श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधीशगण

पीठ पर आदेश

(24.04.2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

1. चूँकि दोनों प्रकरणों में विधि और तथ्य का सामान्य प्रश्न सम्मिलित है, इसलिए उन्हें एक साथ जोड़कर सुना जा रहा है और इस सामान्य आदेश द्वारा एक साथ निर्णीत किया जा रहा है।

2. यह छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षेप में 'अधिनियम, 2005') की धारा 55 (2) के तहत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए संदर्भ आवेदन हैं, जिनमें अधिकरण को विधि के प्रश्न को संदर्भित करने की आवश्यकता है।

3. आवेदक- मेसर्स हनुमान पेपर वर्क्स (इसके बाद "आवेदक फर्म" के रूप में संदर्भित) एक स्वायत्त फर्म है और कागजों के विक्रय और क्रय का व्यवसाय करती है और मूल्य वर्धित कर, प्रवेश और केंद्रीय विक्रय कर के मूल्यांकन के लिए टी. आई. एन. सं. 22101402062 के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत है। आवेदक फर्म ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए तिमाही विवरणी प्रस्तुत की जिसमें अंतर-राज्य विक्रय के उद्देश्य से



आवेदक ने रु. 10,71,34,543/- का संव्यवहार दर्शाया है, यद्यपि, केवल रु.9,51,92,191/- का अंतर- राज्य विक्रय दर्शाने वाला C-फॉर्म प्रस्तुत किया गया था, ऐसे में, रु. 1,19,42,352/- की विक्रय की शेष राशि के लिए कोई C-फॉर्म जमा नहीं किया गया था। C-फॉर्म जमा न किए जाने के कारण, निर्धारण अधिकारी ने 25.10.2018 दिनांकित आदेश द्वारा अंतर-राज्य विक्रय की कटौती की अनुमति नहीं दी तथा रु.1,19,42,352/- के उक्त विक्रय को स्थानीय विक्रय अभिनिर्धारित करते हुए 5 प्रतिशत की दर से वैट (मूल्य वर्धित कर), रु. 5,97,118/- तथा 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर तथा ब्याज, रु. 3,76,184/- अधिरोपित किया। निर्धारण के उक्त आदेश विरुद्ध आवेदक फर्म ने अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर छत्तीसगढ़, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे 01.12.2020 पर खारिज कर दिया गया। 01.12.2020 दिनांकित आदेश को चुनौती देते हुए, आवेदक फर्म ने मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 55(1) के तहत छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण, रायपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की जिसे भी 11.04.2023 दिनांकित आक्षेपित आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया गया कि आवेदन में उल्लिखित विधि के प्रश्न को संदर्भित करने के लिए कोई प्रकरण नहीं बनाया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर, वैट अधिनियम की धारा 55 (2) के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. श्री हरि अग्रवाल, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पहले ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण, C-फॉर्म निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन जारी नहीं किया जा सका था जिसके लिए आवेदक ने C-फॉर्म जमा करने के लिए कुछ समय प्रदान किए जाने का अनुरोध किया था, यद्यपि, अधिकरण ने 02.09.2022 दिनांकित आदेश द्वारा उक्त अनुरोध को खारिज कर दिया। उन्होंने आगे निवेदन किया कि 30.09.2022 को आपूर्तिकर्ता के पोर्टल पर आपूर्तिकर्ता से की गई रु. 1,19,51,777/- का क्रय दर्शाने वाला आवश्यक C-फॉर्म ऑनलाइन उत्पन्न किया गया था, यद्यपि, अधिकरण ने विधि के प्रश्न को संदर्भित करने से इनकार कर दिया और वैट अधिनियम



की धारा 55 (1) के तहत प्रस्तुत आवेदन को 11.04.2023 दिनांकित आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया, जिस पर केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में "अधिनियम 1956") की धारा 8(4) और केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रेशन एवं आवर्तन) नियम, 1957 (संक्षेप में "पंजीकरण नियम 1957") के नियम 12 (7) के आलोक में विचार किया जाना चाहिए था। अपने तर्क के समर्थन में, वह आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्य बनाम मेसर्स हैदराबाद एस्बेस्टोस सीमेंट प्रोडक्शन लिमिटेड व अन्य¹ और हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड व एक अन्य² के मामलों का अवलंब लिया है। इस तरह के निवेदन को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि अधिकरण को इस न्यायालय द्वारा तैयार किए जाने वाले विधि के प्रश्न पर संदर्भित करने का निर्देश देते हुए इन आवेदनों को स्वीकार किया जाए।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल तमस्कर ने कहा कि यद्यपि आवेदक को C-फॉर्म जमा करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया गया था फिर भी पिछले 7 वर्ष से उसने इसे जमा नहीं किया है, अतः रु. 1,19,42,352/- के विक्रय को स्थानीय विक्रय माना गया और ऐसे में, अधिकरण ने वैट अधिनियम की धारा 55(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया।

6. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनके प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का भी अत्यंत सावधानी के साथ परीशीलन किया है।

7. निर्विवाद रूप से, आवेदक निर्धारित समय के भीतर रु. 1,19,42,352/- की अंतर-राज्य विक्रय के लिए C-फॉर्म जमा नहीं कर सका था और तदनुसार निर्धारण प्राधिकारी ने अंतर-राज्य विक्रय की कटौती की अनुमति नहीं दी और उक्त राशि को स्थानीय विक्रय के रूप में अभिनिर्धारित करते हुए उपरोक्त राशि पर 5 प्रतिशत की दर से वैट, 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर तथा ब्याज, रु.3,76,184/- अधिरोपित किया। आवेदक फर्म द्वारा

1 (1994) 5 SCC 100

2 (205) 6 SCC 499



प्रस्तुत अपील को अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर द्वारा खारिज कर दिया गया था और अधिकरण ने भी 11.04.2023 दिनांकित आक्षेपित आदेश द्वारा वैट की धारा 55 (1) के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया और उसके परिणामस्वरूप आवेदक को अधिनियम, 1956 की धारा 8 (4) में निहित प्रोफार्मा दाखिल करने के लिए कोई समय प्रदान नहीं किया गया। अधिनियम, 1956 की धारा 8(4) इस प्रकार है:-

8. अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य अवधि में विक्रय पर कर की दरें -

(4) उप-धारा (1) के प्रावधान अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी भी विक्रय पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि माल बेचने वाला विक्रेता विहित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से उस पंजीकृत व्यापारी द्वारा विधिवत भरी और हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, जिसे माल बेचा जाता है, जिसमें निर्धारित प्राधिकरण से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म) में निर्धारित विवरण हों :

परन्तु जहां घोषणा निर्धारित समय के भीतर या इतने आगे के समय के भीतर प्रस्तुत की जाती है, जितने की वह प्राधिकरण, पर्याप्त कारणों से, अनुमति दे।

8. अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा (4) के परन्तुक के सावधानीपूर्वक वाचन से पता चलता है कि विक्रेता द्वारा फॉर्म-C जमा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए विहित प्राधिकारी को शक्ति प्रदान की गई है। इसी तरह, रजिस्ट्रेशन नियम, 1957 का नियम 12 (7) फॉर्म-C में घोषणा से संबंधित है जो घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र से संबंधित अवधि की समाप्ति के बाद तीन माह के भीतर विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। सुलभ संदर्भ हेतु नियम 12(7) को नीचे उद्धरित किया जाता है:-

"12 (7) फॉर्म-C या फॉर्म-F में घोषणा या फॉर्म E-I या फॉर्म E-II में प्रमाण- पत्र उस अवधि की समाप्ति के बाद तीन माह के भीतर विहित



प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा जिससे घोषणा या प्रमाण संबंधित है:

परन्तु यह कि यदि विहित प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति को उपरोक्त समय के भीतर ऐसी घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह प्राधिकारी ऐसी घोषणा या प्रमाण-पत्र को ऐसे आगे के समय के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है जिसकी वह प्राधिकरण अनुमति दे।”

9. उपरोक्त नियम के सावधानीपूर्वक परिशीलन से पता चलता है कि घोषणा या प्रमाण पत्र से संबंधित अवधि की समाप्ति के बाद C-फॉर्म जमा करने के लिए तीन महीने का समय निर्धारित किया गया है, यद्यपि, पंजीकरण नियम, 1957 के नियम 12(7) के परंतुक द्वारा यह भी उपबंधित किया गया है कि यदि विहित प्राधिकारी संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति को उपरोक्त समय के भीतर ऐसा घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो प्राधिकरण विस्तारित समय के भीतर ऐसा घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

10. यह विवाद्यक कि जब कोई विक्रेता मूल्यांकन के समय तक विवाद्यक प्राधिकरण के समक्ष फॉर्म-C प्रस्तुत नहीं करता है, तो क्या उसे पहले या दूसरे अपीली प्राधिकरण के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में उक्त प्रपत्र (फॉर्म) प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है; और क्या प्रथम या द्वितीय अपीली प्राधिकरणों को अपील में फॉर्म-C प्राप्त करने की शक्ति है, मैसर्स हैदराबाद एस्बेस्टोस सीमेंट प्रोडक्ट लिमिटेड (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया था, जिसमें माननीय न्यायमूर्तियों ने कण्डिका 6 में निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया :-

"6. विधि के सुसंगत प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद, अब हम इन मामलों में उत्पन्न होने वाले प्रश्न की ओर रुख कर सकते हैं। यह इस प्रकार है: जहां कोई व्यापारी मूल्यांकन के समय तक प्रथम निर्धारण



प्राधिकारी के समक्ष फॉर्म-C प्रस्तुत नहीं करता है, क्या उसे उसके द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में अर्थात् प्रथम या द्वितीय अपीली प्राधिकारी के समक्ष उक्त फॉर्म प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है? दूसरे शब्दों में, प्रश्न यह है कि क्या अपीली प्राधिकरण, चाहे वह प्रथम या द्वितीय अपीली प्राधिकरण के पास अपील में फॉर्म-C प्राप्त करने और अनुतोष प्रदान करने की शक्ति है, यदि विक्रेता अपीलीय प्राधिकरण को संतुष्ट करता है कि उसके पास प्रथम निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त कारण था?"

11. माननीय न्यायमूर्तियों ने पंजीकरण नियम 1957 के नियम 12 के उप नियम (7) के संदर्भ में कंडिका 13 में उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर दिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीली प्राधिकारियों द्वारा शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जा सकता है जब पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो। उपरोक्त निर्णय का कंडिका 13 नीचे उद्धरित की गई है:-

"13. उपरोक्त टिप्पणियों से पता चलता है कि नियम 12 के उप-नियम (7) में "प्रथम निर्धारण प्राधिकारी" शब्दों के उपयोग मात्र का यहाँ संबंधित अधिनियमों के संदर्भ और योजना में यह अर्थ नहीं कि अपीली प्राधिकारियों के पास अपील में फॉर्म-C प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से केवल तभी किया जा सकता है जब विक्रेता द्वारा प्रथम निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष मूल्यांकन के समय तक उसे प्रस्तुत नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाया गया है। यदि किसी प्रकरण में, एक व्यापारी ने प्रथम निर्धारण प्राधिकारी से और समय प्राप्त किया था और फिर भी उसे उसके सामने पेश करने में विफल रहा, तो यह स्पष्ट है कि अपीली प्राधिकरण विक्रेता द्वारा उसे पहले पेश नहीं करने



के लिए दर्शाए गए पर्याप्त कारण का न्याय करने में एक कठोर मानक अपनाएगा। यह दोहराना आवश्यक है कि अपील में उन प्रपत्रों (फॉर्म) की प्राप्ति निश्चित रूप से एक मामला नहीं हो सकता है; इसकी अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब नियम 12 (7) द्वारा विचार किए गए प्रथम निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उन्हें पेश नहीं करने के लिए विक्रेता द्वारा पर्याप्त कारण स्थापित किया गया हो। दर्शाए गए कारण की पर्याप्तता का निर्णय करते समय उक्त उप-नियम की आवश्यकता को अपीली न्यायालय द्वारा विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है। यह याद रखना चाहिए कि यह विक्रेता का प्राथमिक दायित्व है और इसका पालन करने में उसकी विफलता को ठीक से समझाया जाना चाहिए। जहां तक आंध्र प्रदेश अधिनियम के तहत विक्रय कर अपीली अधिकरण का संबंध है, यह ऊपरोक्त निर्दिष्ट विनियमन 11(1) द्वारा शासित है जो फिर से उसी शक्ति की पुनरावृत्ति के अलावा और कुछ नहीं है।”

12. गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड व एक अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पंजीकरण नियम 1957 के नियम 12 (7) के तहत, घोषणा प्रपत्र (फॉर्म) (डिक्लरेशन फॉर्म) बाद के समय पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे विवरणी (रिटर्न) के साथ ही प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा कंडिका 37 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई :-

"37. अपीलार्थी- राज्य की ओर से यह आग्रह किया गया था कि केंद्रीय अधिनियम के तहत घोषणा प्रपत्र (फॉर्म) समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किए गए थे और/या दोषपूर्ण थे। वास्तव में यह किसी वैधानिक प्रावधान का पालन न करने के बराबर नहीं है। प्रत्यर्थी सं.1-कंपनी छूट का दावा कर रही थी इसलिए घोषणा प्रपत्र (फॉर्म) प्रस्तुत नहीं किया



था। प्रस्तुत किए गए कुछ प्रपत्रों (फॉर्म) को दोषपूर्ण माना गया। निर्विवाद रूप से, संशोधन प्राधिकरण के समक्ष दोषों को, यदि कोई हो तो, सुधारने का अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रार्थना की गई थी। जिसे ठुकरा दिया गया था। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रेशन एवं आवर्तन) नियम, 1957 (संक्षेप में 'रजिस्ट्रेशन नियम') के नियम 12 (7) के तहत घोषणा प्रपत्र बाद के समय पर प्रस्तुत किया जा सकता है और आवश्यक नहीं कि उसे विवरणी के साथ हो। निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन किए जाने पर छूट प्रदान की जा सकती है। नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारिती को उस लाभ से वंचित नहीं किया जाए जो उसे तकनीकी अभिवाक् पर विधि के तहत उपलब्ध है। निर्धारण अधिकारी को समय प्रदान करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि विवरणी के साथ घोषणा प्रपत्र (फॉर्म) दाखिल करने की आवश्यकता वाला प्रावधान एक निर्देशिकी प्रावधान है न कि एक अनिवार्य प्रावधान। किसी प्रकरण में घोषणा प्रपत्र (फॉर्म) भी अपीली प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं क्योंकि अपील मूल्यांकन कार्यवाही की निरंतरता है। किसी प्रकरण में, यदि अपीली प्राधिकारी संतुष्ट है कि निर्धारिती को उचित और पर्याप्त कारण से रोका गया था, जिसने उसे समय पर प्रपत्र (फॉर्म) दाखिल करने में अक्षम कर दिया था, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है। इसे कटौती के दावे के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, प्रत्यर्थी सं. 1- कंपनी ने पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष एक विशिष्ट अनुरोध किया जिसे अस्वीकार कर दिया गया। अतः सुसंगत विधियों के किसी भी गैर-अनुपालन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यह इस न्यायालय द्वारा



साहनी स्टील एंड प्रेस वर्क्स लिमिटेड व एक अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी व अन्य, [1985] 4 एस. सी. सी. 173 में टिप्पणी की गई थी कि किसी प्रकरण में निर्धारिती को घोषणा पत्र एकत्र कर उन्हें निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सकता है यदि किसी विशेष संव्यवहार की कराधीनता के लिए निर्धारिती की चुनौती को अस्वीकार कर दिया जाता है।”

13. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में और अधिनियम, 1956 की धारा 8 (4) और रजिस्ट्रेशन नियम 1957 के नियम 12 (7) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि विहित प्राधिकरणों के साथ-साथ अपीली प्राधिकरणों के पास विक्रेता या आवेदक द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाने पर फॉर्म-C जमा करने और प्राप्त करने की सीमा बढ़ाने की शक्ति और अधिकारिता है।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अधिकरण द्वारा इस तथ्य पर विचार किए बिना कि प्राधिकारियों के पास सही कारण दर्शाए जाने पर फॉर्म-C प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाने की शक्ति और अधिकारिता है, आवेदक द्वारा वैट अधिनियम की धारा 55(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन को 11.04.2023 दिनांकित आदेश द्वारा अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत नहीं था। इसलिए, हमारे सुविचारित मत में संदर्भ हेतु विधि के निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

"1. क्या निर्धारण प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकरण और पुनरीक्षण प्राधिकरण के पास पर्याप्त कारण दर्शाने पर आवेदक-फर्म द्वारा फॉर्म-C जमा करने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति और अधिकारिता है?

2. क्या निर्धारण प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकरण और पुनरीक्षण प्राधिकरण के पास मूल्यांकन के समय इसे दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाने पर आवेदक-फर्म द्वारा फॉर्म-C प्राप्त करने की शक्ति



और अधिकारिता है?”

15. संबंधित अधिकरण विधि के उपरोक्त प्रश्न पर शीघ्रता से इस न्यायालय को संदर्भित करेगा।

16. तदनुसार, दोनों संदर्भ आवेदन निराकृत होते हैं।

सही/-

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

(दीपक कुमार तिवारी)

न्यायाधीश

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।